भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5703

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर

† 5703. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) खोलने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में स्थानवार कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): साम्यता, किफायती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक सुलभता के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूरक पीआईपी में 123 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के प्रचालन का प्रस्ताव दिया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), जिसे पहले आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रोत्साहन, निवारक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास

संबंधी पहलुओं को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता है, जिसका लक्ष्य लोगों के घरों के नजदीक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोगों के साथ-साथ निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करना है।

मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए+एन) सेवाओं और संचारी रोग सेवाओं को विस्तारित और मजबूत करने के अलावा, कार्यात्मक एएएम विस्तारित सेवा पैकेज प्रदान करता है जो इस प्रकार है:

1. गर्भावस्था और प्रसव में परिचर्या
2. नवजात और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ
3. बाल और किशोरावस्था स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ
4. परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ
5. संचारी रोगों का प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
6. तीव्र साधारण रोगों और गौण रोगों के लिए सामान्य बाह्य रोगी परिचर्या
7. गैर-संचारी रोगों और क्षयरोग और कुष्ठ रोग जैसी चिरकालिक संचारी रोगों की जाँच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन
8. बुनियादी मुंह संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या
9. मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जाँच और बुनियादी प्रबंधन
10. सामान्य नेत्र और ईएनटी समस्या की परिचर्या
11. वृद्धावस्था और प्रशामक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ
12. बर्न और आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एनएचएम के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य परिचर्या सुधार शामिल हैं:

- **सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला** - उन्नत और सुदृढ़ आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब 12 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की परिकल्पना कर रहे हैं।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का अतिरिक्त संवर्ग** - नए शुरू किए गए मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), चिकित्सक के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, जो टीम का नेतृत्व करते हैं।
- **आवश्यक दवाओं और निदान की सुलभता** - आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवाओं के विस्तारित पैकेज को पूरा करने के लिए, एसएचसी-एएएम और पीएचसी-एएएम में क्रमशः 106 और 172 दवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसी तरह, पीएचसी-एएएम और एसएचसी-एएएम में उपलब्ध आवश्यक निदान की संख्या क्रमशः 14 और 63 है।
- बाहरी ब्रांडिंग, प्रक्रिया प्रवाह को पुनर्गठित करने, ओपीडी के लिए स्थान का सीमांकन, दवाएँ वितरित करने, निदान परीक्षण करने आदि के माध्यम से मौजूदा सुविधाओं के **अवसंरचना सुदृढीकरण** और आरोग्य सत्रों के लिए स्थान सुनिश्चित करना।

- **आईटी सेवाएँ, टेली-परामर्श और परिचर्या की निरंतरता** - प्रगति की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल/एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-परामर्श भौतिक सुलभता, अवसर लागत और सेवा प्रदाताओं की कमी की चिंताओं को हल करता है और परिचर्या की निरंतरता को बनाए रखता है।
- **सामुदायिक भागीदारी** - सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और सामुदायिक स्वामित्व और शासन में सुधार करने के लिए जन आरोग्य समितियाँ (जेएएस), रोगी कल्याण समिति (आरकेएस), ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) और महिला आरोग्य समितियाँ (एमएएस) जैसी सुविधा और समुदाय में बहु-हितधारक समितियों का गठन।
- **स्वास्थ्य संवर्धन** – रोग के प्रबंधन से परे, संवर्धनात्मक और निवारक स्वास्थ्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का अभिन्न अंग है जिसमें मैराथन, योग, ध्यान आदि जैसी शारीरिक गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रतिवर्ष 42 स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस और मासिक दस आरोग्य सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहाँ समुदाय स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य वार्ता, स्वस्थ आहार और जीवन शैली के लिए परामर्श, मादक द्रव्यों के सेवन पर परामर्श और समाप्ति गतिविधियाँ आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं।
- **आयुष्मान आरोग्य शिविर/स्वास्थ्य मेला** – सितंबर, 2023 से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भव अभियान के तहत राज्यों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में साप्ताहिक आयुष्मान मेलों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ति करना है। इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 से, मेलों को मासिक निश्चित दिन आउटरीच सेवाओं, अर्थात् आयुष्मान आरोग्य शिविर के माध्यम से संस्थागत बना दिया गया है। ब्लॉक स्तर तक विशेषज्ञ सेवाओं जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, दंत चिकित्सक आदि की उपलब्धता ने स्वास्थ्य परिचर्या में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी रही है।

*****